# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़

## //आदेश//

क्रमांक 3016 /न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 31.03.2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बिमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2899/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.03.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए है।

2. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश की कंडिका "अ" अनुसार जिले रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31.03.2020 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी गया था।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 1–29/2020–PP(Pt.II) दिनांक 24.03.2020 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 के माध्यम से 25.03.2020 से लेकर आगामी 21 दिन अर्थात 14 अप्रेल 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक/211/मु.स./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.03.2020 के माध्यम से उपरोक्त कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

5. अतः उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2899/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.03.2020 के अनुसार जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 रात्रि 12:00 बजे तक आदेशित पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेश की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 14.04.2020 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश दिया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2899/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 24.03.2020 कंडिका 'स' में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। कंडिका 'स' वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है।

**स–26. निम्न वस्तुओं/सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां :–**

– पशु आहार, पक्षी आहार (Bird Feed)एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं एवं सेवायें, पशु चिकित्सा सेवाएं (Veterinary Services)एवं पेट्स शॉप एक्वेरियम (Pet Shop Aquarium)।
– शिशु/बच्चों का आहार

- डिब्बा बंद स्वास्थ्य संपूरक आहार (Health Supplements) न्यूट्रास्यूटीकल्स (Nutraceuticals) डिब्बा बंद विशेष आहार के उपयोग के लिए भोजन (Food for Special Dietary use)
- पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज (Packaged food and Beverajes)
- डिब्बा बंद पानी की बोतल (Packaged water)
- अनाज, तेल, मसाल एवं खाद्य सामग्री (Food Ingredients)
- फल एवं सब्जियां
- चावल, गेहूं का आटा
- शक्कर एवं नमक
- चाय एवं कॉफी
- उर्वरक / कीटनाशक / बीज

27. उपरोक्त वर्णित उत्पादों की होम डिलीवरी सेवाओं एवं ई-कामर्स आधारित कंपनिया जैसे कि फ्लिप कार्ट, एमेजॉन, एमवे इंडिया इंटरप्राइजेस इत्यादि द्वारा आपूर्ति।
28. खाद्य उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज / वेयर हाऊस
29. प्लॉट / कारखानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक उत्पाद जैसे कि :- कोयला, भूसी (Rice Husk), डीजल / फर्नेश ऑयल इत्यादि।
30. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उर्पाजन में शामिल एजेंसियां। इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है।
31. किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती करना।
32. कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबधित दुकान।
33. कटाई एवं बुआई से संबंधित मशीनों जैसे कि हारवेस्टर एवं अन्य कृषि / बागवानी से संबंधित औजारों के अंतर्जिला / अंतर्राज्यीय परिवहन।
34. उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों / सेवाओं के अंतर्जिला / अंतर्राज्यीय परिवहन।
35. उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों के सहायता हेतु लगने वाले सभी कच्चे उत्पाद, पैकेजिंग उत्पाद।
36. हमॉल सेवाएं।

7. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2899 / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 24.03.2020 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2966 / कोरोना / 2020 रायगढ़ दिनांक 29.03.2020 के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 3016ए /न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 31.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)